Email ID – alrohdr123@gmail.com

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या : 569 /सात–भूलेख दिनांक : 02 अगस्त, 2018

विषय : रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग के कार्मिकों की अद्यतन अध्यावधिक जनपद स्तरीय कोटिक्रम सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राजस्व परिषद के पत्र संख्या 634/चार–20/2017–18, दिनांक 22.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। परिषद के उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग के कार्मिकों की अद्यतन अध्यावधिक कोटिक्रम सूची तैयार करवाकर अन्तिम कोटिक्रम सूची की एक प्रति परिषद को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद में कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगो की अनन्तिम कोटिक्रम सूची का प्रकाशन कार्यालय के पत्र संख्या 431/सात–भूलेख, दिनांक 28.05.2018 से करते हुए जनपद स्तरीय अनन्तिम ज्येष्ठता सूची वर्ष 2018 पर आपत्तियां आमंत्रित की गयी। उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 19.07.2018 पर पारित जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 02.08.2018 द्वारा ज्येष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

(01)– श्री मधुकर जैन, र0का0 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में कहा गया है कि वह शारीरिक विकलांग है एवं प्रार्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टर एवं त्रि–वर्षीय डिप्लोमा (सिविल इंजी0) है, को कोटिक्रम सूची में अंकित किया जाये। साक्ष्य में शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र व शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की गई है।

श्री मधुकर जैन,र0का0 की आपत्ति स्वीकार की गई है।

(02)– श्री राजेश कुमार, र0का0 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में कहा गया है कि प्रार्थी की शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर है। साक्ष्य में शैक्षिक योग्यता की छायाप्रति संलग्न की गई है। श्री राजेश कुमार द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह भी कहा गया है कि वह र0का0 के पद पर दिनांक 01.08.2016 को स्थाई हुआ है जबकि क्रमांक 05 पर र0का0 के पद पर अस्थाई कार्मिक को दर्शाया गया है तथा प्रार्थी के बाद स्थाई हुये कार्मिकों को सूची में ऊपर दर्शाया गया है। र0का0 के पद पर स्थाईकरण के दिनांक के आधार पर प्रार्थी का नाम क्रमांक 09 पर अंकित किया जाये।

उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा नियमावली, 2011 के नियम–13 "ज्येष्ठता" के नियम–10 में उल्लेख किया गया है कि नियम–10 के अनुसार नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम सूची उनकी पोषक संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्रावधानों के आलोक में विचार कर अवधारित की जायेगी।

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 6 "उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जायें" के अनुसार जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।"

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 6 के स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि "पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गयी हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर पदोन्नति स्थायी लेखपालों से की जाती हैं अर्थात रजिस्ट्रार कानूनगो अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम सूची उनकी पोषक संवर्ग (लेखपाल) में पारस्परिक ज्येष्ठता के आधार पर होती है। उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा नियमावली 2015 के नियम–30 "ज्येष्ठता" के अनुसार सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–27(6) के तहत कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या

अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी कलेक्टर के निर्देश एक ही दिनांक के हों तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 27(4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।

रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग की अनन्तिम कोटिक्रम सूची के क्रमांक 05 पर अंकित कार्मिक श्री मनोज कुमार का राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के पद पर मौलिक नियुक्ति का दिनांक अर्थात कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश का दिनांक 09.11.1992 एवं श्री राजेश कुमार का राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के पद पर मौलिक नियुक्ति का दिनांक अर्थात कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश का दिनांक 14.10.1998 है।

श्री राजेश कुमार, र0का0 का शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर अंकित किया जाना स्वीकार किया गया है एवं र0का0 के पर पर स्थाईकरण के दिनांक के आधार पर प्रार्थी का नाम क्रमांक 09 पर अंकित किया जाये, निरस्त किया गया है।

(03)– श्री अमरीश शर्मा, र0का0 द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कहा गया है कि उनका नाम कोटिक्रम सूची में क्रमांक 04 पर अंकित श्री ललित मोहन पोखरियाल व क्रमांक 05 पर अंकित श्री मनोज कुमार से कनिष्ठ दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी की लेखपाल पद पर नियुक्ति की तिथि 13.11.1992 तथा पूर्व में जारी लेखपाल कोटिक्रम सूची में प्रार्थी का नाम क्रमांक 64 पर अंकित है जबकि रजिस्ट्रार कानूनगो की कोटिक्रम सूची क्रमांक 4 पर अंकित श्री ललित मोहन तथा क्रमांक 5 पर अंकित श्री मनोज कुमार की लेखपाल पद पर नियुक्ति का दिनांक 20.11.1992 है जो पूर्व से उपलब्ध लेखपाल कोटिक्रम सूची में क्रमशः 91 व 73 पर दर्ज है। रजिस्ट्रार कानूनगो हेतु वर्ष 2013 की चयनित सूची ज्येष्ठता के आधार पर है प्रार्थी की रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर पदोन्नति दिनांक 21.05.2014 को हुई जबकि श्री मनोज कुमार की रजिस्टक्रार कानूनगो पद पर पदोन्नति दिनांक 24.04.2016 को हुई है। लेखपाल पद पर नियुक्ति 1992 के उपरान्त तैयार की गई लेखपाल कोटिक्रम सूची में प्रार्थी का नाम उक्त वर्णित श्री ललित मोहन पोखरियाल एवं श्री मनोज कुमार से ऊपर रहा है। जिले में कार्यरत सभी रा0उ0नि0 (लेखपाल) जिनकी नियुक्ति 1990 से पूर्व की है में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया व सभी पूर्व की भांति यथावत है केवल 1992 व उसके उपरान्त में नियुक्त हुए रा0उ0नि0 की ज्येष्ठता में ही परिवर्तन किया गया है। लेखपाल सेवा नियमावली एवं वर्तमान में ज्येष्ठता निर्धारण प्रक्रिया समान है इस कारण से भी पूर्व में जारी लेखपाल कोटिक्रम सूची जो लेखपालों से आपत्ति के उपरान्त अन्तिम रूप से तैयार की गई है, में कोई परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

(04)– श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर, र0का0 द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कहा गया है कि उनका नाम कोटिक्रम सूची में क्रमांक 04 पर अंकित श्री ललित मोहन पोखरियाल व क्रमांक 05 पर अंकित श्री मनोज कुमार से कनिष्ठ दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी की लेखपाल पद पर नियुक्ति की तिथि 16.11.1992 तथा पूर्व में जारी लेखपाल कोटिक्रम सूची में प्रार्थी का नाम क्रमांक 67 पर अंकित है जबकि रजिस्ट्रार कानूनगो की कोटिक्रम सूची क्रमांक 4 पर अंकित श्री ललित मोहन तथा क्रमांक 5 पर अंकित श्री मनोज कुमार की लेखपाल पद पर नियुक्ति का दिनांक 20.11.1992 है जो पूर्व से उपलब्ध लेखपाल कोटिक्रम सूची में क्रमशः 91 व 73 पर दर्ज है। रजिस्ट्रार कानूनगो हेतु वर्ष 2013 की चयनित सूची ज्येष्ठता के आधार पर है प्रार्थी की रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर पदोन्नति दिनांक 28.01.2015 को हुई जबकि श्री मनोज कुमार की रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर पदोन्नति दिनांक 24.04.2016 को हुई है। लेखपाल पद पर नियुक्ति 1992 के उपरान्त तैयार की गई लेखपाल कोटिक्रम सूची में प्रार्थी का नाम उक्त वर्णित श्री ललित मोहन पोखरियाल एवं श्री मनोज कुमार से ऊपर रहा है। जिले में कार्यरत सभी रा0उ0नि0 (लेखपाल) जिनकी नियुक्ति 1990 से पूर्व की है में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया व सभी पूर्व की भांति यथावत है केवल 1992 व उसके उपरान्त में नियुक्त हुए रा0उ0नि0 की ज्येष्ठता में ही परिवर्तन किया गया है। लेखपाल सेवा नियमावली एवं वर्तमान में ज्येष्ठता निर्धारण प्रक्रिया समान है इस कारण से भी पूर्व में जारी लेखपाल कोटिक्रम सूची जो लेखपालों से आपत्ति के उपरान्त अन्तिम रूप से तैयार की गई है, में कोई परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त पैरा 03 व 04 की आपत्तियों के सम्बन्ध में अवगत कराना है उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा नियमावली, 2011 के नियम–13 "ज्येष्ठता" में उल्लेख किया गया है कि नियम–10 के अनुसार नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम सूची उनकी पोषक संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्रावधानों के आलोक में विचार कर अवधारित की जायेगी।

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 6 "उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जायें" के अनुसार जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

Email ID – alrohdr123@gmail.com

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 6 के स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि "पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गयी हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।"

रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर पदोन्नति स्थायी लेखपालों से की जाती हैं अर्थात रजिस्ट्रार कानूनगो अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम सूची उनकी पोषक संवर्ग (लेखपाल) में पारस्परिक ज्येष्ठता के आधार पर की होती है। उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा नियमावली 2015 के नियम–30 "ज्येष्ठता" के अनुसार सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–27(6) के तहत कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी कलेक्टर के निर्देश एक ही दिनांक के हों तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 27(4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।

अनन्तिम कोटिक्रम सूची के क्रमांक 04 पर अंकित श्री ललित मोहन पोखरियाल व क्रमांक 05 पर अंकित श्री मनोज कुमार, क्रमांक 06 पर अंकित श्री अमरीश शर्मा व क्रमांक 07 पर अंकित श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर का राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के पद पर मौलिक नियुक्ति का दिनांक अर्थात कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश का दिनांक क्रमशः 09.11.1992, 09.11.1992, 09.11.1992 व 09.11.1992 है। सभी कार्मिकों का कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश का दिनांक 09.11.1992 एक ही होने पर उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाना है। श्री ललित मोहन पोखरियाल, श्री मनोज कुमार, श्री अमरीश शर्मा व श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) परीक्षा में प्राप्त अंक क्रमशः 440, 419, 411 व 373 हैं।

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा नियमावली, 2015 व उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा नियमावली, 2011 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार श्री अमरीश शर्मा व श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर की आपत्ति निरस्त की गई है।

(05)– श्री बिजेन्द्र कुमार द्वारा कहा गया है कि वह तहसील लक्सर में दिनांक 07.04.2017 से रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर कार्यरत है परन्तु प्रकाशित रजिस्ट्रार कानूनगो कोटिक्रम सूची में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। अतः रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग की कोटिक्रम सूची में प्रार्थी का नाम यथोचित स्थान पर अंकित किये जाने की कृपा करें।

श्री बिजेन्द्र कुमार, राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) को कार्यहित में रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है ऐसी स्थिति में उनका नाम रजिस्ट्रार कानूनगो सूची में अंकित नहीं किया जा सकता है। श्री बिजेन्द्र कुमार की आपत्ति निरस्त की गई है।

अतएव रजिस्ट्रार कानूनगो की अनन्तिम कोटिक्रम सूची पर प्राप्त आपित्तयों का निस्तारण उपरोक्तानुसार करते हुए जनपद हरिद्वार के रजिस्ट्रार कानूनगो की तैयार की गई जनपद स्तरीय अन्तिम ज्येष्ठता सूची वर्ष 2018 की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(बी0के0मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (प्र0)
हरिद्वार।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
02. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
03. उप जिलाधिकारी, हरिद्वार/रूडकी/लक्सर/भगवानपुर को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि कोटिक्रम सूची का प्रकाशन सम्बन्धितों में कराना सुनिश्चित करें।
04. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को वेबसाईट http://haridwar.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
हरिद्वार।

जनपद हरिद्वार में रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग के कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची वर्ष : 2018

क्र0 सं0	रजिस्ट्रार कानूनगो का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	शैक्षिक योग्यता	राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) प्रशिक्षण का वर्ष व प्राप्तांक		राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के पद पर मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक	रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर पदोन्नति का दिनांक	रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर स्थाईकरण का दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री प्रीतम सिंह	12.07.1958	अनु0जाति	स्नातक	1979	458	29.03.1980	31.07.1992	01.08.1994	स्थानीय व्यवस्था में नायब तहसीलदार (जनपद में) दिनांक 31.07.2018 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।
2	श्री सुदेश कुमार	03.04.1962	अ0पि0वर्ग	स्नातकोत्तर	1980	-	22.10.1980	11.01.2007	11.01.2009	स्थानीय व्यवस्था में नायब तहसीलदार (अन्य जनपद में)
3	श्री सुशील कुमार	05.01.1963	अ0पि0वर्ग	स्नातकोत्तर	1981	533	01.10.1982	12.01.2007	12.01.2009	–
4	श्री ललित मोहन पोखरियाल	18.06.1969	सामान्य	स्नातक	1992	440	09.11.1992	17.06.2011	17.06.2013	–
5	श्री मनोज कुमार	01.01.1971	सामान्य	स्नातक	1992	419	09.11.1992	24.08.2016	-	अस्थाई
6	श्री अमरीश शर्मा	02.02.1969	सामान्य	स्नातक	1992	411	09.11.1992	21.05.2014	07.10.2016	–
7	श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर	05.01.1970	अ0ज0जाति	स्नातक	1992	373	09.11.1992	28.01.2015	01.01.2018	–
8	श्री मधुकर जैन	11.08.1970	सामान्य	इन्टर, डिप्लोमा (सिविल इंजी0)	1997	460	02.07.1998	17.06.2011	17.06.2013	–
9	श्री सतीश कुमार	14.03.1971	अनु0जाति	स्नातकोत्तर	1997	459	02.07.1998	04.07.2011	04.07.2013	–
10	श्री रमेश प्रसाद	01.01.1975	अ0पि0वर्ग	स्नातक	1997	450	02.07.1998	04.07.2011	04.07.2013	–
11	श्री आलोक खरे	01.06.1973	सामान्य	स्नातक	1997	437	02.07.1998	01.09.2011	25.02.2014	–
12	श्री राजेश कुमार	06.05.1973	सामान्य	स्नातकोत्तर	1997	436	14.10.1998	28.03.2012	01.08.2016	–

02.08.2018
सहायक भूलेख अधिकारी,
हरिद्वार।

2/8/18
प्रभारी अधिकारी (भूलेख)
हरिद्वार।

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
हरिद्वार।

F.No. 43 R.K. Gradation list 2018